



प्रेस विज्ञप्ति

10/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन के अपराध के लिए पांच आरोपियों, मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश माफतलाल देसाई, ओम राजेंद्र पंड्या और मितेश गोकुलभाई ठक्कर के खिलाफ 27/11/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके देश भर में भोले-भाले लोगों को कई साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से ठगकर **104.15 करोड़ रुपये** की अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की है।

सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा की गई जांच के आधार पर ईडी ने मकबूल डॉक्टर, उनके बेटों काशिफ मकबूल डॉक्टर और बस्साम मकबूल डॉक्टर और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की।

कार्यप्रणाली:

मकबूल डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर और बस्साम मकबूल डॉक्टर और अन्य सहयोगियों ने विदेशी मुद्रा व्यापार संबंधी सुझाव/शेयर बाजार में निवेश संबंधी सुझाव, डिजिटल गिरफ्तारी, प्रवर्तन निदेशालय, टीआरएआई, सीबीआई आदि जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फर्जी नोटिस भेजना जैसे विभिन्न कार्यप्रणाली अपनाई हैं। पीड़ितों को डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने के लिए, आरोपी एक फर्जी पुलिस स्टेशन स्थापित करते थे जहाँ वर्दीधारी फर्जी पुलिसकर्मी वीडियो कॉल करते थे और धन उगाही के लिए पीड़ितों को विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजते थे। जबरन वसूली गई रकम के बदले, आरोपी पीड़ितों द्वारा भुगतान की गई फीस/जुर्माने की रसीद के रूप में फर्जी चालान जारी करते थे। ऐसे नोटिस/चालानों के नमूना स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए हैं-



THE SURESH ANAND GANG TRANSMISSION MONEY LAUNDERING CASE (SURESH ANAND GANG TRANSMISSION MONEY LAUNDERING CASE) (SURESH ANAND GANG TRANSMISSION MONEY LAUNDERING CASE)

Suspect Name: Mr. Deepak Damodar Sudame
Aadhaar Card No.: 4338 3513 0153

The content is as follows:

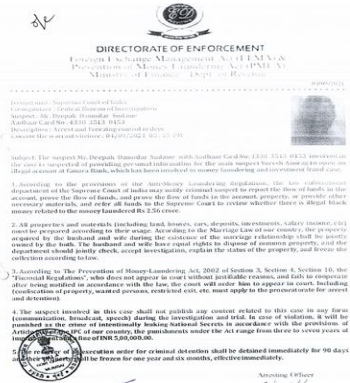
- All citizens, including, politicians, social organizations, groups, and units have the right to keep state secrets. The law is based on the National Security Act and suspects will be investigated for such dangerous behavior.
- On 26 August 2024, Mumbai Police apprehended money laundering gang Suresh Anand and 5 criminal associates in the name of the crime. Communications tools, laptops, false Aadhaar cards and 247 ATRM cards were also hidden in the criminal den.
- The commercial crime investigation team and the money laundering investigation team have taken action against the main suspect, but there are still a large number of associates of the main suspect who continue to operate across India. This article was written by the National Bureau of Security.

The Act was known as the Official Secrets Act 1923. The Act applies throughout India and also applies to persons who are citizens of the Government of India.

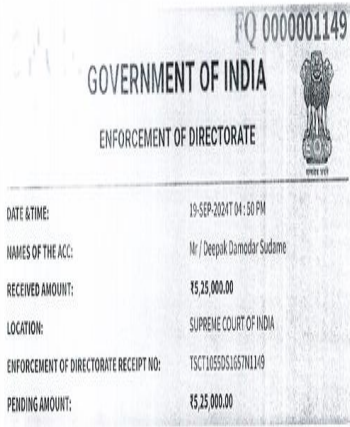
If any of the above parties violates the National Security Law Act, that is guilty of a misdemeanor and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 3 years or 7 years (whether with or without hard labor) or a fine of Rs. 1,00,000.00 or both.

I acknowledge that I have read, understood and accept the terms and conditions contained in the order.

Suspect Signature,
Barnu K. W. (Barnu K. W.)
Secretary to the Government of India
Tel: 3338 3074



Directorate of Enforcement
Enforcement of Directorate
Enforcement of Directorate
Enforcement of Directorate



उपर्युक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके, जबरन वसूली की गई धनराशि को पहले उनके परिचित व्यक्तियों/रिश्तेदारों/किराए पर लिए गए व्यक्तियों के केवाईसी का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों में एकत्र किया गया और फिर विभिन्न बैंक खातों का उपयोग करके इसे अलग-अलग स्तरों पर स्थानांतरित किया गया। इन बैंक खातों में सभी वित्तीय लेनदेन संचालित करने के लिए, आरोपियों ने धोखाधड़ी से पहले से सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त किए और उन्हें इन बैंक खातों से जोड़ दिया। इसके अलावा, आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को नकद के रूप में निकाल लिया गया ताकि अपराध का पता न चले और उनका संबंध न जुड़ सके। इस प्रकार नकद में निकाली गई धनराशि को विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से आगे भेजा गया और अंततः नियामक जांच से बचने के लिए इसे क्रिप्टोकॉर्सेसी / यूएसडीटी में परिवर्तित करने के लिए उनके सहयोगियों को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, अपराध की आय को क्रिप्टोकॉर्सेसी/यूएसडीटी के रूप में निकालने के लिए, आरोपियों ने ऐसे क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल किया है जिनके लिए केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि एक प्रमुख आरोपी श्री बस्साम डॉक्टर, श्री मकबूल डॉक्टर के पुत्र, वर्तमान में फरार हैं और अरब देशों में रह रहे हैं और यह संदेह है कि वह क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से पीओसी के असली(अल्टीमेट) प्राप्तकर्ता हैं। बैंक खातों के विश्लेषण से यह भी पता चला कि आलीशान जीवनशैली जीने के लिए ई-कॉमर्स या ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं।

इस मामले की जांच के दौरान, अक्टूबर 2025 में, ईडी द्वारा चार आरोपियों, मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश माफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पंड्या को गिरफ्तार किया गया। साथ ही, जांच के दौरान 17.11.2025 को 2.13 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।